(प्रपत्र – 3)

[illegible]– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–6.150किमी0)

भाग – 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं0..............................

[illegible]/स्कीम का स्थान	जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चकराता–लाखामण्डल(गोरा घाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ (लम्बाई–6.150 किमी0) मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.7360 है0 वन भूमि का लो0नि0वि पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु हस्तान्तरण का प्रस्ताव।
[illegible] शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
[illegible]	देहरादून
[illegible]	चकराता वन प्रभाग
[illegible] प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल [illegible]	1.7360 है0 वन भूमि
[illegible] कानूनी स्थिति	0.0000 है0 आरक्षित वन भूमि 0.0000 है0 वन पंचायत भूमि 1.7360 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम सीढी बडकोटी/रंगेऊ **1.7360 है0 कुल वन भूमि**
[illegible] का घनत्व	..0.1..
[illegible] (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की [illegible] (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय [illegible] के सम्बन्ध में एफ.आर.एल, एफ.आर.एल–2 [illegible] और एफ.आर.एल–4 मी0 भी संलग्न [illegible]	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 101 वृक्ष बाधित हैं जिनमें बांज वृक्षों की संख्या 60 है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 19-22 तक संलग्न है।
[illegible] के लिए वन क्षेत्र की संवेदशीलता पर संक्षिप्त [illegible]	इस बाबत प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के भूवैज्ञानिक की दिनांक 18.12.2015 की भूगर्भीय आख्या संलग्न–प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र 33 तक चस्पा है।
[illegible] प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा [illegible] दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि से नहीं गुजरता है एवं सिविल सोयम भूमि ग्राम उपरौली की सीमा के अन्तर्गत है।
[illegible] राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमण्डल [illegible] रिजर्व, हाथी कौरीडोर आदि का भाग है [illegible] क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन [illegible] अनुबधिति की जाये)	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र 9.5 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
[illegible] में वनस्पति और प्राणी जात की [illegible] संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती [illegible] तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें	नहीं।

[illegible] प्रमाणित

[illegible] अभियन्ता

[illegible] खण्ड, लो0नि0वि0

[illegible]

यदि कोई सुरिक्षत पुरातत्वीक/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्तवपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपेछित हो तो दें।	नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र 37 पर प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनत है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद–वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव की पृष्ठ संख्या प्रपत्र 23 पर संलग्न है।
क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई काया किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 42 तक पर संलग्न है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या .... पर संलग्न है साथ ही प्रस्तावित परियोजन स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु भी प्राक्लन प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 46 ...... तक संलग्न है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उक्तानुसार
रोपित की जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां :– जलवायू के अनुरूप मिश्रित प्रजातिया कार्यान्चयन ऐजंसी :– स्वंय वन विभाग समय :– उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत :– क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु रू0 6.608 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या प्रपत्र से 42 तक संलग्न है एवं रिक्त स्थान उचित वृक्षारोपण हेतु रू0 18.02 लाख का प्राक्लन पृष्ठ संख्या प्रपत्र 46 तक संलग्न है।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	रू0 6.608 लाख क्षतिपूरक वृक्षारोपण। रू0 18.02 लाख परियोजना के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोण।
प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्लन प्रतिहस्ताक्षरित और प्रमाणित है।
उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधिनस्थ वन अधिकारी, फील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग के संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट प्रतिहस्ताक्षरित करके पृष्ठ संख्या प्रपत्र-6 पर संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरित द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है जो कि पृष्ठ संख्या प्रपत्र 4 पर संलग्न है।
विभाग/जिला प्रोफाइल	चकराता वन प्रभाग/जिला – देहरादून
जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	3088.00 ~~वर्ग किमी0~~ हे0
जिले का वन क्षेत्रफल	211691 ~~वर्ग किमी0~~ हे0
मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 669 है। वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 7102 हे0 है इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 6333.9 हे0 है।
1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक	

सत्यापित प्रमाणित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
चकराता

वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 71.82.5 है0 (ख) रिक्त
अब तक क्षतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर – (ख) वनोत्तर भूमि पर –	(क) 5076.68 है0 में प्रभाग के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा करने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष संस्तुति	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों के अनुसार तथा अद्योहस्ताक्षरित द्वारा दिनांक 15-7-2017 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

दिनांक :- 15-7-2017
स्थान :- चकराता

हस्ताक्षर
नाम :- (दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
सरकारी मोहर चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)

सत्यापित प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
हरिद्वार